B-3 & 4
L - 26
Polity

लोकसभा के प्रतिनिधिवादी कार्य

- लोकसभा जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च सदन है और प्रथम लोकसभा में ऊँची जातियों, संपत्तिशाली और पढ़े-लिखे शिक्षित वर्ग का प्रभुत्व था लेकिन वर्तमान में लोकसभा में पिछड़ी जातियों, SC/ST, ग्रामीण जनता और कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए जन प्रतिनिधियों का प्रभुत्व स्थापित हो चुका है।

- इससे भारत का लोकतंत्र ज्यादा व्यापक और गहरा हुआ है लोकसभा में दलीय संरचना में परिवर्तन देखे जा सकते हैं क्योंकि 1952-1977 तक कांग्रेस का प्रभुत्व था।

1969 – कांग्रेस → O / R

(i) पहले नेता – राम सुभग सिंह

(ii) **1977** – जनता पार्टी
- → जनसंघ
- → कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी
- → लोकदल (चौधरी चरण सिंह
- → समाजवादी – जार्ज फरनांडिस
- → कांग्रेस
  मोरारजी भाई देसाई

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

(iii) 1980 - 1989 — पुनः कांग्रेस

(iv) 1989 - मई 2014 लोकसभा में बहुमत नहीं।

(v) 2014 — 2024

(vi) 2024 — गठबंधन

भारतीय लोकतंत्र अत्यधिक गतिशील है।

- लोकसभा में पहली बार विपक्षी दल के नेता को वैधानिक मान्यता दी गई। (1977) और यह संयोग का विषय है कि 10 वर्षों बाद वर्ष 2024 (18वीं लोकसभा में) पुनः विपक्षी दल के नेता की नियुक्ति की गई।
- लोकसभा में विपक्षी दल के नेता का निम्नलिखित महत्व है :-

(i) सरकार की शक्तियों को नियंत्रित एवं संतुलित करना।

(ii) सरकार के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना और सकारात्मक आलोचना।

(iii) अनेक संवैधानिक पदों के नियुक्ति में भी विपक्षीय दल के नेता को शामिल किया गया है।

लोकसभा की प्रतिनिधित्वादी भूमिका की चुनौतियाँ

निर्वाचन प्रणाली

(i) First past the Post system

(ii) अग्रता ही विजेता

(iii) पहले आओ पहले पाओ

अनुपातिक प्रणाली

सूची प्रणाली
↓

(A) दल अपने उम्मीदवारों की सूची → 40% = 40 सीट

(B) सूची – 100
35% – 35 सीट

(C) सूची – 100
– 15% – 15 सीट

(D) सूची – 100
– 10% – 10 सीट

- लोकसभा के निर्वाचन के लिए First Past the Post system में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं हो पाता। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि लोकसभा के आधी सीटों के लिए सूची प्रणाली का प्रयोग होना चाहिए।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

- वर्तमान लोकसभा में सीटों का समायोजन एक गम्भीर चुनौती बनी हुई है। क्योंकि यदि वर्तमान जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों को बढ़ा दिया जाता है तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच प्रतिनिधित्व का असंतुलन पैदा हो जायेगा।

- जनसंख्या नियंत्रण के मामले में दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रदर्शन उत्तर भारतीय राज्यों से बेहतर रहा है इसलिए उन्हें समायोजन में घाटा होगा।

- भारत में वर्ष 2021 की जनगणना के आकड़े उपलब्ध होने वाले हैं इसके बावजूद वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर सीटें निर्धारित की गयी हैं।

- यदि वर्तमान जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाई जाती है तो लोकसभा के संचालन में भी कठिनाई उत्पन्न होगी। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि यथास्थिति बनाए रखना ज्यादा बेहतर विकल्प है।

राजनीतिक अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण :-

(i) भारतीय राजनीति की शुरूआत आदर्शवादी रूप में हुई लेकिन धीरे-धीरे आदर्शवादी राजनीति प्रतिस्पर्धा राजनीति मे परिवर्तित

हो गई। लेकिन 1980 के दशक से नेताओं के द्वारा चुनाव जीतने के लिए अपराधियों का सहारा लिया

जिसे राजनीतिक अपराधीकरण कहा गया जो निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन के मूल मान्यता के प्रतिकूल है।

(ii) क्रमश: अपराधियों ने स्वयं चुनाव लड़ना आरंभ कर दिया जिससे अपराधियों का राजनीतिकरण हो गया।

(iii) लोकसभा और विधानसभाओं में बढ़ती इस अपराधिक प्रवृत्ति को रोकने के लिए न्यायालय के द्वारा हस्तक्षेप किया गया।

(iv) उच्चतम न्यायालय ने कहा कोई भी व्यक्ति या सांसद जो न्यायालय के द्वारा 2 वर्ष के लिए दण्डित कर दिया गया है वह चुनाव नहीं लड़ेगा अथवा अयोग्य घोषित हो जायेगा। (लिली थॉमस वाद)

(v) वर्ष 2017 में उच्चतम न्यायालय ने सांसद, विधायक के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्माण का आदेश दिया जिससे इनके विरूद्ध लंबित मामले को त्वरित रूप में हल किया जा सके क्योंकि न्यायालय में मामले लंबित होने पर कोई अयोग्य नहीं होगा इसलिए त्वरित निर्णय आवश्यक है।